झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान-सभा

पंचम (बजट)-सत्र

वर्ग- 02

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक- 18 फाल्गुन,1942(श0) .....को झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे। 09 मार्च, 2021 (ई0)

क्रमांक	विभागों को भेजी गयी सां0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1-	2.	3.	4.	5.	6.
140.	अ0सू0-41	डॉ0 इरफान अंसारी	उर्दू शिक्षकों का वेतन।	स्कूली0शि0 एवं सा0	25.02.21
141.	अ0सू0-07	श्री विरंची नारायण	बालू घाटो की बन्दोबस्ती	खा0 एवं भू0	17.02.21
142.	अ0सू0-55	श्री राज सिन्हा	वेतन विसंगति दूर करना।	उच्च0एवं तक0 शि0	03.03.21

(उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के ज्ञापांक- 300, दिनांक- 04/03/2021 द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को स्थानांतरित)

143.	अ0सू0-68	श्री कुशवाहा शशिभूषण मेहता	नियुक्ति प्रारंभ कराना।	स्कूली0शि0 एवं सा0	04.03.21
144.	अ0सू0-66	श्री विकास कुमार मुंडा	फसल बर्बादी का मुआवजा	वन प0 एवं जल0प0	04.03.21
145.	अ0सू0-29	डॉ0 सरफराज अहमद	मानदेय में वृद्धि	स्कूली0शि0 एवं सा0	22.02.21
146.	अ0सू0-50	श्री राजेश कच्छप	पढ़ाई प्रारंभ कराना	उच्च0 एवं तक0शि0	26.02.21
147.	अ0सू0-26	श्री सरयू राय	जुर्माना वसूलना।	खा0 एवं भू0	22.02.21
148.	अ0सू0-54	श्री राज सिन्हा	विश्वविद्यालय शिक्षकों को भत्ता देना।	उच्च0 एवं तक0 शि0	03.03.21
149.	अ0सू0-51	श्री प्रदीप यादव	ई0-मैनेजरों का अवधि विस्तार।	सू0प्रो0एवं ई0-गवर्नेंस	28.02.21

1-	2.	3.	4.	5.	6.
150.	अ0सू0-05	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	उत्खनन की उच्च स्तरीय जाँच	खा0 एवं भू0	17.02.21
151.	अ0सू0-67	श्री अनन्त कुमार ओझा	पर्यटन क्षेत्रों को संरक्षित करना।	पर्य0क0सं0 खे0एवं यु0 का0	04.03.21
152.	अ0सू0-52	श्री दीपक बिरुवा	सूची के अनुरूप नामांकन।	स्कूली0शि0 एवं सा0	26.02.21
153.	अ0सू0-20	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	स्थापना अनुमति बहाल कराना।	स्कूली0शि0 एवं सा0	22.02.21
154.	अ0सू0-21	श्री सुदिव्य कुमार	उच्च विद्यालयों को अनुदान ।	स्कूली0शि0 एवं सा0	22.02.21
155.	अ0सू0-64	श्री उमाशंकर अकेला	महिला कॉलेज खोलना।	उच्च0 एवं तक0 शि0	04.03.21
156.	अ0सू0-43	श्री सरयू राय	पदाधिकारियों/ संवेदक पर कार्रवाई।	सू0प्रो0एवं ई0-गवर्नेंस	25.02.21
157.	अ0सू0-27	श्री विनोद कुमार सिंह	पेंशन का भुगतान।	उच्च0 एवं तक0 शि0	22.02.21
158.	अ0सू0-16	श्री बंधु तिर्की	सेवा का नियमितिकरण।	उच्च0 एवं तक0 शि0	22.02.21

....

राँची
दिनांक- 09 मार्च, 2021 (ई0)।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक सं0- झा0वि0स0 प्रश्न- 03/2021.....1067...../वि0स0, राँची, दिनांक- 08/03/2021

प्रति :- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ मा0 संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश रजक 8/3/21
(सुरेश रजक)
अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक सं0- झा0वि0स0 प्रश्न- 03/2021.....1067...../वि0स0, राँची, दिनांक- 08/03/2021

प्रति :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ निजी सहायक सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश रजक 8/3/21
अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक सं0- झा0वि0स0 प्रश्न- 03/2021.....1067...../वि0स0, राँची, दिनांक- 08/03/2021

प्रति :- कार्यवाही शाखा/ वेबसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा, झारखण्ड विधान-सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश रजक 8/3/21
अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

निरंजन

(140)

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

426
07.03.21

डॉ. इरफान अंसारी, मा.स.वि.स. से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ.सू.-41

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: -	उत्तर श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, माननीय प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि हिन्दी शिक्षकों का वेतन गैर योजना मद से देने का प्रावधान है, जबकि उर्दू शिक्षकों का वेतन प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के संदर्भ में योजना मद से दिया जाता है,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उर्दू शिक्षकों का वेतन गैर योजना मद में राशि नहीं होने के कारण उर्दू शिक्षकों को नियमित रूप से समय पर वेतन नहीं मिल पाता है,	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि जिलों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर वेतन हेतु राशि का आवंटन जिलों को किया जाता है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उर्दू शिक्षकों का वेतन गैर योजना मद से समय पर देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि उर्दू शिक्षकों के स्वीकृत 4401 पदों को गैर-योजना मद में स्थानान्तरित किये जाने के प्रस्ताव पर योजना-सह-वित्त विभाग झारखण्ड से परामर्शित किया गया है कि कुल पदों के लगभग 84 प्रतिशत पद वर्त्तमान में रिक्त हैं। अतः इन पदों को गैर-योजना मद में परिवर्तित करने के पूर्व रिक्त पदों को भरा जाय। वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2019 की नियुक्ति में योग्य उम्मीदवार नहीं रहने के कारण इन पदों को पूर्णतः नहीं भरा जा सका है। अतः नियुक्ति उपरांत इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी।

7/3/2021
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 16/वि.2-19/2021.....426/राँची, दिनांक 07.03.2021

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 383, दिनांक 25.02.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/3/2021
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(141)

श्री बिरंची नारायण, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 09.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–07

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि विगत 1 वर्ष से झारखण्ड में बालू घाटों की बंदोबस्ती/निलामी संपन्न नहीं हुई है, जिससे सरकार को करोड़ों रूपये के राजस्व की हानि हो रही है;	अत्तर अस्वीकारात्मक है। वर्ष 2017 से Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017 लागू है, उसमें बन्दोबस्ती/नीलामी का प्रावधान नहीं है। वर्ष 2018–19 में 140.47 लाख, वर्ष 2019–20 में 175.67 लाख एवं वर्ष 2020–21 में (फरवरी, 21 तक) 856.30 लाख रूपये बालू से प्राप्त हुए है। राजस्व के तुलानात्मक विवरणी से स्पष्ट है कि वर्त्तमान वर्ष 2020–21 में गत वर्ष 2019–20 की तुलना में लगभग 700 लाख रूपये अधिक राजस्व की वसूली हुई है।
2-	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में बालू के अवैध खनन, परिवहन और व्यापार पर तत्काल रोक लगाने और वर्षो से खनन् कार्यालयों में जमे खान निरीक्षकों एवं छोटे स्तर के कर्मियों के स्थानांतरण एवं झारखण्ड के सभी बालू घाटों की बंदोबस्ती/निलामी की कार्रवाई हेतु मेरे द्वारा सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग को प्रेषित पत्रांक–168/बी0एन/2021, दिनांक–21.01.2021 पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। अवैध खनन एवं परिवहन को रोकने के लिए जिलास्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्कफोर्स गठित है, जिसके द्वारा समय–समय पर कार्रवाई की जाती है। विभिन्न जिलों में पदस्थापित खान निरीक्षकों एवं कनीय कर्मियों का स्थानान्तरण नियमित रूप से किया जाता है। भवदीय द्वारा प्राप्त पत्र के आलोक में आवश्यक दिशा–निदेश दे दिया गया है।
3-	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में कुछ लोगों को विभाग द्वारा बालू के भंडारण का परमिशन दिया गया है और इनके द्वारा पड़ोसी राज्यों से बालू का खनन् एवं परिवहन करके बालू का भंडारण करने की बात विभाग को बताई जा रही है, लेकिन इस संदर्भ में जितना बालू उनके स्टॉक में जमा है, उतना का पड़ोसी राज्यों द्वारा निर्गत माइनिंग चालान की कॉपी खनन् कार्यालय में अब तक जमा नहीं की गई है;	उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक। खनिज के भंडारण, विक्रय एवं प्रेषण हेतु JIMMS पर ऑनलाईन प्राप्त आवेदन का निस्तारण जिला खनन कार्यालय के स्तर से किया जाता है। धनबाद जिले में पड़ोसी राज्य से लाए गए बालू के भंडारण का स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया है।
4-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अगले वित्तीय वर्ष में बोकारो सहित राज्यभर में स्थित बालू घाटों की बंदोबस्ती/निलामी करवाने एवं विगत 1 वर्ष में जो पदाधिकारी और व्यक्ति बालू के अवैध करोबार में संलिप्त रहे है, उन पर समुचित कार्रवाई करवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक–वि०स०(अ0सू०)–06/2021 650 /एम0, राँची, दिनांक– 02/03/2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र०–51 दिनांक–17.02.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/3/21

सरकार के उप सचिव

(143)

515

08/03/2021

डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता, स0वि0स0 से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–68

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य सहित पलामू जिला अन्तर्गत पाँकी विधान सभा में शिक्षा के स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से जनसंख्या एवं दूरी की दृष्टिकोण से मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालय में परिणत किया गया है;	स्वीकारात्मक। वर्ष 2006–07 से वर्ष 2016–17 तक, पांकी विधान सभा क्षेत्र के 27 (पांकी प्रखण्ड के–07, तरहसी प्रखण्ड के–07, लेस्लीगंज प्रखण्ड के–08 एवं मनातू प्रखण्ड के–05) मध्य विद्यालयों को मानक अनुसार उच्च विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि मध्य विद्यालय से उच्च विद्यालय के परिणत विद्यालयों में विषयवार विशेषज्ञ शिक्षकों का घोर अभाव है तथा कई विद्यालयों में सिर्फ एक ही विषय के शिक्षकों द्वारा दूसरे अन्य विषयों का पठन–पाठन भी कराया जा रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक।

कुल उत्क्रमित उच्च विद्यालय	नामांकन वर्ग–1–5	नामांकन वर्ग–6–8	नामांकन वर्ग–9–10	नामांकन वर्ग–11–12	कुल नामांकन	कुल कार्यरत शिक्षक
झारखण्ड राज्य						
1524	2,01,239	2,44,491	2,08,410	15,285	6,69,425	15,959
पांकी विधान सभा क्षेत्र						
पांकी–07	578	1276	1843	0	3,995	73
तरहसी–07	1028	869	880	318	3,123	66
लेस्लीगंज–08	843	815	846	0	2,304	69
मनातू–05	777	580	575	535	2,540	42
कुल –27	3417	3662	4353	850	12,288	260

राज्य में वर्ष 2006–07 से वर्ष 2016–17 तक कुल 1524 मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है, जिसमें कुल नामांकन 6,69,425 मात्र है, जिसके विरुद्ध 15959 शिक्षक कार्यरत हैं। शिक्षक : छात्र अनुपात 1:41 मात्र है।

पांकी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2006–07 से वर्ष 2016–17 तक कुल 27 मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है, जिसमें कुल नामांकन 12,288 मात्र है, जिसके विरुद्ध 260 शिक्षक कार्यरत हैं। शिक्षक : छात्र अनुपात 1:47 मात्र है।

वर्ष 2015 में 338 उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में 26 विषयों के 2513 रिक्त पदों के विरुद्ध 1719 एवं वर्ष 2018 में उत्क्रमित सहित सभी उच्च विद्यालयों के 17784 रिक्त पदों के विरुद्ध 8182 शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है।

3	क्या यह बात सही है कि इस तरह की शिक्षा व्यवस्था के कारण शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है तथा बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है;	अस्वीकारात्मक। पलामू जिला के पांकी विधान सभा सहित पूरे राज्य में उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है तथा पठन–पाठन का कार्य संबंधित विषय के शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शिक्षा के स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से शिक्षकों की कमी को दूर करने हेतु नियुक्ति	माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या 5938 एवं 5939 दिनांक 14.07.2016 को निरस्त किये जाने के पारित आदेश एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के संकल्प ज्ञापांक 821 दिनांक 05.02.2021 द्वारा पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या 3854 दिनांक 01.06.2018 (यथासंशोधित) तथा पत्रांक

	प्रारम्भ करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	1044 दिनांक 18.02.2021 द्वारा गैर अनुसूचित जिलों के परीक्षाफल प्रकाशन/नियुक्ति करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए विभागीय पत्रांक 5974 दिनांक 23.11.2020 को भी आहरित किये जाने के आलोक में तत्काल नियुक्तियों के संबंध में सुसंगत कार्रवाई प्रतीक्षित है। माध्यमिक एवं उससे ऊपर स्तर पर, उच्च गुणवत्ता के शिक्षकों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के पत्रांक *NCTE-Acad 023/17/2020-O/o US (Acad.)-HQ dated 03.02.2021* के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के आलोक में वर्ग–09 से 12 तक के शिक्षकों की नियुक्ति हेतु भी शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य रूप से संचालित एवं लागू किये जाने के संबंध में दिनांक 31.03.2021 के पूर्व विहित प्रपत्र में विवरण एवं आंकड़े की मांग की गयी है, ताकि निर्धारित तिथि के उपरान्त इस संबंध में प्राप्त सुझाव एवं विवरण के आधार पर मानक संचालन प्रक्रिया, आदि निर्धारित की जा सके।

08/03/2021

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.1–58/2021 515 राँची, दिनांक 08/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/2021

सरकार के उप सचिव।

(144)

श्री विकास कुमार मुण्डा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–09.03.2021 को पूछे जानेवाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–66 की उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
1– क्या यह बात सही है, कि राज्य में हाथियों के द्वारा जिस किसान के फसल की बर्बादी की जाती है, बर्बादी के एवज् में किसान को प्रति एकड़ रू0–8,000/–(आठ हजार रूपये) के दर से मुआवजा की राशि दी जाती है ;	स्वीकारात्मक।
2– क्या यह बात सही है, कि जो मुआवजा राशि वर्त्तमान समय में कृषकों को दी जाती है वह आज के बाजार दर के अनुपात में बहुत ही कम है ;	सरकार के संकल्प संख्या–3906 दिनांक–18.09.2017 के अनुसार मुआवजा राशि भुगतान करने का प्रावधान है। सरकार द्वारा समय–समय पर देय मुआवजा राशि की समीक्षा कर यथा आवश्यक बढ़ोत्तरी की जाती है।
3– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में हाथियों के द्वारा की गई फसल बर्बादी का मुआवजा बढ़ाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट की गयी है। वर्त्तमान में ऐसा प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05/विधानसभा अल्प–सूचित प्रश्न–43/2021– 856 व0प0, राँची, दिनांक–08/03/2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–966 दिनांक–04.03.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

8-3-21
(संतोष कुमार चौबे)
सरकार के अवर सचिव

(145)

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

437
08.03.21

डॉ. सरफराज अहमद, मा.स.वि.स. से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ.सू.-29

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	श्री निशिलेश कुमार ठाकुर, माननीय प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि पारा शिक्षक राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि पारा शिक्षक लंबे समय से अत्यधिक कम मानदेय पर कार्यरत है;	अस्वीकारात्मक। वर्ष 2002 में ग्राम शिक्षा समिति द्वारा चयन किया गया था। तत्समय चयनित पारा शिक्षक को 1000/- रुपये मासिक मानदेय देय था। पारा शिक्षकों के मानदेय में लगातार वृद्धि होती रही है। पारा शिक्षकों के विभिन्न माँगों पर विचार करने हेतु उच्च स्तरीय कमिटि की अनुशंसा के आलोक में दिनांक 01.01.2019 के प्रभाव से निम्नवत् वृद्धि की गई है:-

कोटि	वर्तमान में देय मासिक उपलब्धि (प्रतिमाह रु. में)
उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8)	
प्रशिक्षित एवं टेट उत्तीर्ण	15000/-
प्रशिक्षित	13000/-
प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5)	
प्रशिक्षित एवं टेट उत्तीर्ण	14000/-
प्रशिक्षित	12000/-

3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पारा शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा "पारा शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन" का प्रारूप तैयार कर लिया गया है, जिसमें पुनः वृद्धि का प्रावधान किया गया है। उच्च स्तरीय समिति के अंतिम निर्णय एवं अनुमोदन के उपरांत "पारा शिक्षक सेवा शर्त विनियमन" लागू कर दी जाएगी।

8/3/2021
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 16/वि.2-40/2021 437 /राँची, दिनांक 08.03.2021

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 102, दिनांक 22.02.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/2021
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(146) (148)

श्री राजेश कच्छप, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-09.03.2021 को पूछा जानेवाला अनुपसूचित प्रश्न संख्या-अ०सू०-50 से संबन्धित उत्तर प्रतिवेदनः-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के कुड़ुक, उराँव, मुण्डारी तथा हो भाषा को भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि:- गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संविधान की अष्टम् अनुसूची में शामिल किये जाने हेतु तैयार की गई विचारण सूची में 38 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, जिसमें अन्य भाषाओं के अलावा हो, कुड़ुख तथा मुण्डारी भाषा भी है।
2.	क्या यह बात सही है कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्रांक-559 दिनांक-08.03.2019 द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को निदेशित किया गया है कि इन सभी भाषाओं के लिए अलग स्वतंत्र विभाग का गठन किया जाय ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुतः राँची विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग को विकसित कर उत्कृष्ट शिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के अन्तर्गत 09 भाषा हेतु स्वीकृति प्रदान किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राँची विश्वविद्यालय सहित झारखण्ड राज्य के अन्य विश्वविद्यालय में कुड़ुक, उराँव, मुण्डारी तथा हो भाषा का स्वतंत्र विभाग गठन करते हुए पढ़ाई प्रारंभ कराना तथा पी०एच०डी० की उपाधि प्रदान करना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	(i) राँची विश्वविद्यालय के अलावे डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची के कुड़ुख, उराँव, मुण्डारी तथा हो भाषाओं का स्वतंत्र विभाग है। इन विषयों में पी०एच०डी० भी करायी जाती है। (ii) कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा में हो भाषा के लिए अलग विभाग स्थापित है, जिसमें सहायक प्राध्यापक का 01 पद स्वीकृत है।

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक- DHESec1/बजट सत्र-2021-27/2021HTESD 337 / रांची, दिनांक- 08/03/2021

प्रतिलिपिः- प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्रांक-532 दिनांक-26.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

08/3/21
(सुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

(147)

श्री सरयू राय, स० वि० स० द्वारा दिनांक 09.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–26

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क०सं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि ओ०एम०एम० ने 2009–10 में पर्यावरण स्वीकृति की सीमा से 0.615 मिट्रिक टन और 2010–11 में 0.665 मिट्रिक टन अधिक उत्पादन किया;	माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा WP(C)No.-114, Common Cause Vrs. Union of India & Ors. में पारित आदेश दिनांक–02.08.2017 के आलोक में खनन पट्टेधारियों द्वारा उत्पादन प्रेषण का पर्यावरणीय स्वीकृति सीमा के उपर यदि कोई उत्पादन किया गया हो तो, खनिज मूल्य सरकार द्वारा दण्ड स्वरूप वसूल की जाएगी। उक्त न्यायादेश के आलोक में मेसर्स ओ०एम०एम० के विरूद्ध भी पर्यावरणीय स्वीकृति से अधिक उत्पादन के खनिज के मूल्य का वसूली की कार्रवाई वर्ष 2017–18 से प्रारंभ किया गया था। जिला खनन कार्यालय, प० सिंहभूम के Demand Notice के अनुसार मूल राशि 86.70 करोड़ रू० वसूली हेतु नीलाम पत्र वाद संख्या–18/2019–20 दायर किया गया है।
2-	क्या यह बात सही है कि उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम ने इसके लिए कार्रवाई नहीं किया, बल्कि पत्रांक–1496/नो०, दिनांक–18/05/2012 द्वारा जिला खनन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि ओ०एम०एम० के वर्ष–2009–10 और 2010–11 के अधिकाई उत्पादन को कमशः 2012–13 और 2013–14 के वार्षिक उत्पादन के साथ समायोजित कर दें;	माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा WP(C)No.-114, Common Cause Vrs. Union of India & Ors. में दिनांक–02.08.2017 को पारित आदेश में दिए गए निर्देश के अनुसार दण्ड की वसूली की जाती है।
3-	क्या यह बात सही है कि उपायुक्त को ऐसे अवैध खनन के समायोजन का अधिकार नहीं है। उपायुक्त का यह आदेश अवैध खनन पर लगाये जानेवाले करीब रू०–500 करोड़ का जुर्माना छुपाने का भ्रष्ट प्रयास है;	उपरोक्त कंडिका–1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
4-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अवैध खनन का जुर्माना ओ०एम०एम० से वसूलने तथा उपायुक्त के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम–1988 के तहत कार्रवाई करना चाहती है ?	जिला खनन कार्यालय, प० सिंहभूम द्वारा दिनांक–24.02.2018 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा WP(C)No.-114, Common Cause Vrs. Union of India & Ors. में दिनांक–02.08.2017 को पारित आदेश के आलोक में मेसर्स ओ०एम०एम० के विरूद्ध मूल राशि 86.70 करोड़ रू० की वसूली की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक–वि०स०(अ०सू०)–08/2021 656 /एम०, राँची, दिनांक–08/03/2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–107 दिनांक–22.02.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

148

श्री राज सिन्हा, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-09.03.2021 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ०सू०-54 से संबन्धित उत्तर:-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए सरकार 7वाँ पे० के अनुसार वेतन दे रही है ;	स्वीकारात्मक ।
2.	क्या यह बात सही है कि कार्यरत शिक्षकों को वेतन एवं डी०ए० तो 7वाँ पे० के अनुसार दिया जा रहा है किन्तु चिकित्सा भता एवं आवासीय भता पूर्ववत् 6पे वेतनमान के आधार पर ही दिया जा रहा है;	स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को 7वाँ वेतनमान के अनुसार चिकित्सा भता एवं आवासीय भता दिये जाने के संबंध में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विश्वविद्यालय शिक्षकों को चिकित्सा भता एवं आवासीय भता 7पे० के अनुसार देने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उत्तर उपर्युक्त कंडिका-2 में सन्निहित है।

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

—

ज्ञापांक- DHESec1/बजट सत्र-2021-31/2021HTESD 336 / रांची, दिनांक- 08/03/2021/

प्रतिलिपि:- प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्रांक-853 दिनांक-03.03.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

08/3/21
(सुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

149

श्री प्रदीप यादव, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 09.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–51 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि पूरे राज्य में कुल 332 ई–मैनेजरों की सेवा समाप्त कर दी गई है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। राज्य के अंतर्गत 332 कर्मियों की सेवा विस्तार नहीं करने का निर्णय लिया गया है एवं इसकी सूचना विभागीय पत्रांक 2157 दिनांक 02.07.2019 के द्वारा सभी उपायुक्त को दी गई है।
2	क्या यह बात सही है, कि बहाली के शर्त्तों के अनुरूप इनकी सेवा की आवश्यकता एवं संतोषजनक पाये जाने के बाद भी बजटीय अनुपलब्धता कहते हुए ई–मैनेजरों की सेवा अवधि विस्तार नहीं दिया गया है;	अस्वीकारात्मक। उपरोक्त पदों पर प्रशासी पदवर्ग समिति एवं मंत्रिपरिषद द्वारा मात्र दो 2017–18 एवं 2018–19 हेतु पद सृजन की स्वीकृति दी गई। उपरोक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019–20 के बजट में इस निमित्त कोई राशि उपबंधित नहीं की गई एवं विभाग के द्वारा पत्रांक 2157 दिनांक 02.07.2019 निर्गत किया गया है।
3	क्या यह बात सही है, कि इनके मानदेय हेतु वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 में बजटीय राशि भी सरकार ने उपलब्ध कराया है;	अस्वीकारात्मक। इन कर्मियों के मानदेय हेतु कोई पृथक बजट शीर्ष नहीं है, अपितु राशि स्टेट ई–गवर्नेंस मद से उपलब्ध कराई जाती है एवं उक्त मद से ई–गवर्नेंस से संबंधित अन्य योजनाओं हेतु राशि उपबंधित की जाती है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार यथाशीघ्र ई–मैनेजरों को अवधि विस्तार देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	आंशिक रूप से अस्वीकारात्मक। सरकार द्वारा जिला व प्रखण्ड स्तर पर संविदा/बाह्य श्रोत के आधार पर कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटरों से संबंधित प्रतिवेदन की मांग सभी जिलों से विभागीय पत्रांक–1288 दिनांक 04.11.2020 के द्वारा की गई है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत समुचित कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग

तृतीय मंजिल, झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, राँची–834004

ज्ञापांक: ITSec2/Vidha-Prshn-4/2021/IT 427 रांची, दिनांक: 04.03.2021

प्रतिलिपि:– श्री सुरेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0प्र0–684 दिनांक 28.02.2021 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सुनील कुमार पोद्दार)
सरकार के अवर सचिव

Skr1.03.21

150

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, स० वि० स० द्वारा दिनांक 09.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू0–05

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि संथाल परगना के गोड्डा, दुमका, साहेबगंज तथा पाकुड़ जिलों में मुख्य रूप से पत्थर आधारित उद्योग होने के कारण वर्णित जिला से सरकार को अधिकतम राजस्व का संग्रह होता है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। दुमका, साहेबगंज तथा पाकुड़ पत्थर बहुल जिला है, जबकि पाकुड़ एवं गोड्डा में कोयला खनिज के भी खदान है। दुमका, साहेबगंज तथा पाकुड़ जिले से पत्थर से संबंधित खनन पट्टों की संख्या ज्यादा है। फलस्वरूप अधिक राजस्व प्राप्त होता है।
2-	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिले में बालू के अवैध उत्खनन के कारण सुन्दर नदी, नीलझी नदी, चीर नदी, हरना नदी, सापिन नदी, गेरूआ नदी सहित शहर के लाइफ लाईन माने जाने वाले कझिया नदी का अस्तित्व समाप्ति के कगार पर है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। District Survey Report के अनुसार स्थानीय परिस्थिति के आलोक में बालूघाट के Category का निर्धारण किया जाता है, जिसकी विवेचना Jharkhand Sand Mining Policy, 2017 के कंडिका–2 में की गई है। चालू वित्तीय वर्ष में खनिजों के अवैध परिवहन के मामलों में कुल 410 वाहनों पर कार्रवाई की गयी है, 57 में प्राथमिकी दर्ज की गयी है तथा 68.17 लाख रूपये के जुर्माना की वसूली की गयी है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अवैध उत्खनन की उच्चस्तरीय जाँच कराकर राजस्व एवं पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले माफियाओं एवं संरक्षण देने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक–वि०स०(अ०सू०)–07 / 2021 655 / एम०, राँची, दिनांक– 08/03/21

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–49 दिनांक–17.02.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

(151)

श्री अनन्त कुमार ओझा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 09.03.2021 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सं०–67 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार इको टूरिज्म, सांस्कृतिक टूरिज्म, शिल्प व व्यंजन टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म टूरिज्म तथा ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु पर्यटन नीति, 2020 के तहत कार्य कर रही है;	1.	**अस्वीकारात्मक** झारखण्ड पर्यटन नीति 2020 का गठन अभी नहीं किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि पर्यटन के क्षेत्र को विकसित करने हेतु पर्यटन नीति, 2020 के तहत निवेशकों को निवेश करने पर पूँजी का 30% या 10 करोड़ तक की सब्सिडी देने सहित अनुसूचित क्षेत्रों में निवेशकों को अतिरिक्त 5% इंसेंटिव देने का प्रावधान रखा है;	2.	**अस्वीकारात्मक** झारखण्ड पर्यटन नीति 2020 का गठन अभी नहीं किया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि राज्य में निवेशकों को पर्यटन यूनिट शुरू करने पर बिजली दरों पर 30% तक की छुट तथा लोन लेने पर ब्याज पर 50% तक की सब्सिडी पाँच तक के लिए उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है;	3.	**अस्वीकारात्मक** वर्तमान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
4.	क्या यह बात सही है कि राज्य में निवेशकों द्वारा पर्यटन ईकाई स्थापित करने पर अगले पाँच वर्षों तक SGST के भुगतान में 75% तक की छुट तथा 2% स्टाम्प ड्यूटी में छूट तथा रजिस्टर्ड पर्यटकीय केन्द्रों में पाँच वर्ष की होल्डिंग टैक्स में छुट देने तथा खण्ड (2) एवं (3) के अनुरूप छुट देने पर राज्य के राजकोष पर वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा;	4.	वर्तमान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार निवेशकों को पर्यटन क्षेत्र में निवेश पुनर्विचार कर राज्य के पर्यटन क्षेत्र को दोहन से बचाने व संरक्षित रखने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	5.	विभाग द्वारा राज्य में सतत पर्यटन विकास को प्रोत्साहित किया जाता है। इसके तहत पर्यटक क्षेत्रों को संरक्षित व सुरक्षित रखते हुए पर्यटन का विकास व संवर्धन किया जाता है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/47/2021 506 /राँची, दिनांक 08.03.2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–964/वि०स०, दिनांक–04/03/2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 8/3/21

सरकार के संयुक्त सचिव

(152)

श्री दीपक कुमार विश्वा, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-09.03.2021 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ०सू०-52 से संबन्धित उत्तर:-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, झारखण्ड सरकार द्वारा बी०एड० पाठ्यक्रम के शैक्षणिक सत्र 2020-21 में नामांकन हेतु आयोजित प्रथम ऑनलाईन साक्षात्कार के आधार पर दिनांक-15.02.2021 को औपबंधिक सीट आवंटन सूची जारी की गई थी ;	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त औपबंधिक सूची को उप परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, झारखण्ड सरकार के आदेश द्वारा दिनांक-19.10.2021 को त्रुटिपूर्ण होने का जिक्र करते हुए नामांकन को रद्द कर दिया गया ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक-15.02.2021 को झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद् के द्वारा 2nd ऑनलाईन साक्षात्कार के आधार पर जारी औपबंधिक सीट आवंटन की सूची त्रुटिपूर्ण पाये जाने के कारण दिनांक-19.02.2021 को 2nd संशोधित आवंटन सूची जारी की गई थी तथा नामांकन के लिए पूर्व निर्धारित तिथि 20.02.2021 को बढ़ाकर दिनांक-25.02.2021 तक की गई थी।
3.	क्या यह बात सही है कि प्रथम साक्षात्कार के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को आवंटित संस्थान में दाखिला नहीं मिलने से हतोत्साहित हैं;	अस्वीकारात्मक। संशोधित 2nd सूची अभ्यर्थियों के मेधा-सह-इच्छा के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों को सीट आवंटित किया गया है, इससे किसी भी अभ्यर्थी की मेधा का हनन नहीं हुआ है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रथम साक्षात्कार के आधार पर आवंटित सूची के अनुरूप आवंटित संस्थान में ही नामांकन सुनिश्चित करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उत्तर उपर्युक्त कंडिका-2 एवं 3 में सन्निहित है।

झारखंड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक- DHESec1/बजट सभ-2021-29/2021HTESD 340 / रांची, दिनांक- 05/03/2021

प्रतिलिपि:- प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्रांक-685 दिनांक-28.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

05/3/21

(सुरेश चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

526
08/03/2021

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, स0वि0स0 से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–20

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा भूमि प्रतिवेदन नहीं रहने के कारण 79 उच्च विद्यालयों/इंटर महाविद्यालयों की स्थापना अनुमति समाप्त कर दी गई है, जिसमें संथालपरगना में 16 अवस्थित है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–3241 दिनांक 19.12.2013 में झारखण्ड राज्यान्तर्गत अवस्थित निबंधित मदरसों को प्रस्वीकृति देने संबंधी संकल्प संख्या–1090 दिनांक 29.11.1980 के भूमि संबंधी एवं अन्य निर्धारित मानक में संशोधन कर संथालपरगना टेनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत प्रभावी मदरसों के जमीन को प्रस्वीकृति दिया गया है;	स्वीकारात्मक। यह संकल्प प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के परामर्श से मात्र संथाल परगना प्रमण्डल के मदरसों हेतु निर्गत है।
3	क्या यह बात सही है कि संथाल परगना प्रमंडल अन्तर्गत खण्ड–2 में उल्लेखित संकल्प के आधार पर संचालित मदरसों को झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा प्रस्वीकृति भी दी जा रही है, जबकि इनके अतिरिक्त अन्य विद्यालयों को तदनुरूप प्रस्वीकृति नहीं दी जा रही है;	स्वीकारात्मक। विभागीय संकल्प संख्या 3241 दिनांक 19.12.2013 मात्र संथाल परगना प्रमण्डल के मदरसों के लिए प्रभावी किया गया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार निबंधित मदरसों को प्रस्वीकृति देने संबंधी संकल्प संख्या–1090 दिनांक 29.11.1980 को आधार मान कर रद्द किये गये संथाल परगना में 16 उच्च विद्यालयों/इंटर महाविद्यालयों की स्थापना अनुमति पुनः बहाल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	अधिकांश मदरसों हेतु न्यूनतम् 02 से 05 कट्ठा भूमि (तहतानियाँ, वर्ग 1 से 5 – 02 कट्ठा; वस्तानियाँ, वर्ग 1 से 8 – 05 कट्ठा एवं फौकानियाँ; वर्ग 1 से 10 तथा मौलवी मदरसा, वर्ग 1 से 12 – 20 कट्ठा) संचालन हेतु मानक है, जिसे मदरसा के नाम से निबंधित होने के प्रावधान को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के संकल्प संख्या 3241 दिनांक 19.12.2013 द्वारा मात्र संथाल परगना प्रमण्डल के मदरसों हेतु शिथिल किया गया है। वित्त रहित माध्यमिक विद्यालयों/इंटर महाविद्यालयों की स्थापना अनुमति/प्रस्वीकृति/स्थायी प्रस्वीकृति हेतु अलग नियमावली गठित है, जिनकी भूमि संबंधी अर्हता एवं छात्र अनुपात में उपलब्ध कमरे/भवन हेतु अलग मानक है, जिसमें विकल्प का भी प्रावधान है, यथा – (क) माध्यमिक विद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति हेतु न्यूनतम् 02 एकड़ (शहरी क्षेत्र हेतु 0.50 एकड़) भूमि है, जो विद्यालय के नाम से निबंधित या 30 वर्षों के निबंधित लीज पर एक खण्ड में होनी चाहिए।

		(ख) इंटरमीडिएट महाविद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति हेतु न्यूनतम् 02 एकड़ (शहरी क्षेत्र हेतु 01 एकड़) भूमि है, जो निबंधित न्यास, निकाय अथवा सोसायटी, जिसके अधीन संस्था संचालित है, के नाम से निबंधित या 30 वर्षों के निबंधित लीज पर एक खण्ड में होनी चाहिए, जिसका स्वामित्व एवं कब्जा संस्था ने प्राप्त कर लिया हो।

08/03/2021

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.1–11/2021 526 रॉंची, दिनांक 08/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रॉंची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/2021

सरकार के उप सचिव।

(154)

517
08/03/2021

श्री सुदिव्य कुमार, स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–21

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि अनुदान अधिनियम 2004 एवं अनुदान नियमावली 2004 के आधार पर वर्ष 2006 से लगातार 2019–20 तक अनुदान मिल रहा था। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा दिनांक 13.10.2020 को विज्ञप्ति जारी कर वित्तीय वर्ष 2019–20 में विभागीय अनुदान समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में स्थापना प्राप्त उच्च विद्यालयों को अनुदान प्रपत्र भरने पर रोक लगा दिया गया है;	स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 के अनुदान हेतु झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004 की धारा–06 में यथा प्रावधानित अनुदान समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 05.02.2020, 06.02.2020 एवं 07.02.2020 की कार्यवाही की कंडिका–XVIII एवं कंडिका–XIX में माननीय विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरांत बिहार सरकार/झारखण्ड सरकार से मात्र स्थापना अनुमति प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को वित्तीय वर्ष 2020–21 से अनुदान नहीं देने का निर्णय लिया गया है। झारखण्ड माध्यमिक विद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त एवं बॉण्ड) नियमावली, 2008 के नियम–7 के आलोक में स्थापना अनुमति प्राप्त संस्था को 02 वर्षों के अंदर प्रस्वीकृति की शर्तों को पूर्ण करना अनिवार्य है। साथ ही पूर्व में बिहार सरकार/झारखण्ड सरकार द्वारा स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालयों को भी उक्त नियमावली के तहत् प्रस्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। इस नियमावली के नियम–10(घ) में भी यह प्रावधान है कि– प्रस्वीकृत माध्यमिक विद्यालय ही अपने विद्यालय से परीक्षा का फॉर्म स्वतंत्र रूप से भरा सकेगा। किन्तु वैसे विद्यालय जिन्हें इस नियमावली प्रख्यापन के पूर्व से स्थापना अनुमति प्राप्त है, उन्हें 02 वर्षों की छूट है। अर्थात् इस 02 वर्ष की अवधि में विद्यालय प्रस्वीकृति प्राप्त कर लेंगे, अन्यथा उन विद्यालय के छात्र/छात्राएं विद्यालय नाम से माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। परन्तु कई स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालयों द्वारा उक्त नियमावली के प्रवृत्त होने के लगभग 12 वर्षों के बाद भी प्रस्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है, जो नियमानुकूल नहीं है। उक्त के आलोक में विभागीय अनुदान समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 से मात्र वैसे संस्थान जिन्हें झारखण्ड माध्यमिक विद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त एवं बॉण्ड) नियमावली, 2008 के तहत् प्रस्वीकृति प्राप्त है, को ही अनुदान देने का निर्णय लिया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य वित्तरहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान), 2004 के पृष्ठ संख्या–4 एवं 5 में अनुदान हेतु पात्रता के कॉलम (घ) में वर्णित है कि (1) राज्य सरकार द्वारा स्थापना अनुमति प्राप्त हो अथवा स्वत्वधारक हो;	स्वीकारात्मक है।
3	यदि उक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शिक्षक एवं छात्रों के हित में झारखण्ड राज्य वित्तरहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) विधेयक, 2004 के पृष्ठ संख्या 4	राज्य सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020–21 के अनुदान हेतु प्रकाशित विज्ञापन में बिहार सरकार/झारखण्ड सरकार से मात्र वैसे स्थापना अनुमति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, जिन्होंने अभी तक प्रस्वीकृति प्राप्त नहीं की है, को अनुदान नहीं देने का प्रावधान किया गया है। बिहार सरकार/झारखण्ड सरकार से स्थापना अनुमति प्राप्त कुल 285 माध्यमिक विद्यालयों की प्रस्वीकृति हेतु झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा समीक्षा की गई है तथा समीक्षोपरान्त परिषद् के पत्रांक–467/2020 दिनांक

एवं 5 में अनुदान हेतु पात्रता के कॉलम (घ) में वर्णित प्रावधान के आलोक में स्थापना अनुमति प्राप्त उच्च विद्यालय को अनुदान देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	04.12.2020 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन निम्नांकित है :-

राज्य सरकार	वर्ष 2008 से पूर्व स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालयों की संख्या	पूर्व में प्रस्वीकृति प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की संख्या	स्थापना अनुमति रद्द किये गये विद्यालयों की संख्या	शेष विद्यालयों की संख्या, जो प्रस्वीकृति प्राप्त नहीं है।	प्रस्वीकृति हेतु आवेदन देने वाले विद्यालयों की संख्या	प्रस्वीकृति हेतु आवेदन नहीं देने वाले विद्यालयों की संख्या	प्रस्वीकृति योग्य पाये गये विद्यालयों की संख्या	प्रस्वीकृति योग्य नहीं पाये गये विद्यालयों की संख्या
बिहार सरकार	216	9	21	186	168	18	54	114
झारखण्ड सरकार	69	19	2	48	45	3	22	23
कुल	285	28	23	234	213	21	76	137

प्रथम दृष्टया प्रस्वीकृति की शर्तों को पूर्ण करने वाले विद्यालयों को प्रस्वीकृति देने की कार्रवाई की जानी है। शेष 137 विद्यालय, जो प्रस्वीकृति की शर्तों को पूर्ण नहीं करते है, की विद्यालयवार समीक्षा की जा रही है।

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-10/वि.स.1-09/2021 517 रॉंची, दिनांक 08/03/2021

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रॉंची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

155

श्री उमाशंकर अकेला, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-09.03.2021 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ०सू०-64 से संबन्धित उत्तर:-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत चौपारण प्रखण्ड एवं बरही प्रखण्ड में एक भी डिग्री महिला कॉलेज नहीं है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि दोनों प्रखण्डों में महिला कॉलेज नहीं होने के कारण लड़कियों को काफी परेशानी होती है एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने 60 कि०मी० हजारीबाग जाना पड़ता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। बरही में डिग्री महाविद्यालय स्थापित है, जहाँ छात्र-छात्राओं के लिए पठन-पाठन की व्यवस्था है।
3.	क्या यह बात सही है कि कई ग्रामीण अभिभावक अपनी बच्चियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु दूर नहीं भेजते हैं, जिससे कई छात्राएँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दोनों प्रखण्डों में महिला कॉलेज खोलना चाहती है, नियुक्ति करने का विचार रखती है ?	वर्तमान में प्रखण्ड स्तर पर महिला महाविद्यालय खोलने का सरकार का कोई निर्णय नहीं है।

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक- DHESec1/बजट सत्र-2021-35/2021HTESD 329 / रांची, दिनांक- 08/03/2021

प्रतिलिपि:- प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्रांक-953 दिनांक-04.03.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

Suresh 8/3/21
(सुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

(17) (156)

श्री सरयू राय, माननीय स०वि०स० द्वारा दि० 09.03.2021 को पुछा जानेवाला प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–43 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र. सं.	अल्प सूचित प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में झारनेट 2.0 हेतु चयनित संवेदक ने दि० 15.10.2018 को अंडरटेकिंग देकर कार्यादेश लिया था कि वे Fully compliant product उपलब्ध करायेंगे और "Compliance's submitted by us can be reconfirmed during the acceptance testing level before go live of the project";	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। कार्यादेश को ओपेन टेंडर के माध्यम से निर्गत किया गया था। जो कि QCBS प्रणाली पर आधारित था। कार्यदेश निर्गत होने के पश्चात् Complaint के आधार पर सरकार के द्वारा जाँच समिति गठित की गई थी। जाँच समिति द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर सरकार के द्वारा अंडरटेकिंग लेकर कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई थी।
2	क्या यह बात सही है, कि सरकार ने प्रोजेक्ट आरम्भ होते समय जाँच नहीं किया कि संवेदक के उपकरण निविदा शर्तों के cmplying हैं;	अस्वीकारात्मक। सरकार के द्वारा Complaint के आधार पर जाँच समिति गठित की गई थी जैसा कि बिन्दु–1 में वर्णित है।
3	क्या यह बात सही है, कि प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ, आज भी सरकार का e-governance सिस्टम झारनेट 1.0 पर ही चल रहा है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। झारनेट 2.0 के Installation के सभी कार्य पूरे किये जा चुके हैं तथा 75 प्रतिशत यूजर को झारनेट 2.0 में migrate किया जा चुका है जो झारनेट 2.0 पर कार्य कर रहे हैं। बचे हुए यूजर को योजना–सह–वित्त विभाग के पत्रांक–636 दि० 23.02.2021 के आलोक में सभी कोषागारों और उनसे जुड़े हुए DDO को 20 अप्रैल 2021 के बाद migrate करने का अनुरोध किया गया है।
4	क्या यह बात सही है, कि शर्त्त पूरा नहीं करने पर लगे जुर्माना की माफी एवं शर्तों में बदलाव के लिए संवेदक वित्त विभाग गये, जहाँ राहत नहीं मिली;	अस्वीकारात्मक।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार निविदाशर्त्तों के अनुरूप योग्यता नहीं होने के बावजूद L&T का चयन करने के जिम्मेदार पदाधिकारियों के विरुद्ध तथा Product fully compliant नहीं होने के कारण संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	लागू नहीं। जाँच समिति के प्रतिवेदन के पश्चात् सरकार के द्वारा Undertaking प्राप्त करने हेतु निर्णय के पश्चात् पुनः उपकरणों को लगाये जाने के उपरांत जिन बिन्दुओं पर प्रश्न उठाये गये थे उन बिन्दुओं पर उपकरणों की जाँच हेतु एक तकनीकी कमिटी गठित की गई थी। उक्त कमिटी के द्वारा जाँच के पश्चात् सभी उपकरणों को निविदा शर्तों के अनुरूप पाया जिसपर माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री को संचिका के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

झारखण्ड सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग

तृतीय मंजिल, झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, रांची–834004

ज्ञापांक : ITSec2/Vidha-Prshn-2/2021/IT - 426 रांची, दिनांक : 04.03.2021

प्रतिलिपि : श्री सुरेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०प्र०–400, दिनांक 25.02.2021 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सुनील कुमार [illegible]) 4/3/21
अवर सचिव।

(157)

श्री विनोद कुमार सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-09.03.2021 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या-अ०सू०-27 से संबन्धित उत्तर:-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों के अवकाश प्राप्त शिक्षक जनवरी, 2016 से देय 7वाँ वेतनमान पर आधारित पेंशन तथा अन्य सेवानिवृति लाभ से वंचित है, जबकि जनवरी, 2016 के बाद सेवानिवृत शिक्षकों को लाभ मिल रहा है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम पेंशन परिनियम 16 के अनुसार वेतन, पेंशन व सुविधा सरकारी कर्मचारियों एवं कॉलेज के शिक्षकों को साथ-साथ देय होगा ;	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार 7वाँ वेतनमान के अनुसार पेंशन का भुगतान जनवरी, 2016 से करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	वस्तुतः दिनांक-01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत शिक्षकों/ पदाधिकारियों को 7 वाँ वेतनमान के अन्तर्गत पेंशन का लाभ प्रदान करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक- DHEsec1/बजट सत्र 2021-7/2021/HTESD 332 / रांची, दिनांक- 08/03/2021

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्रांक-105 दिनांक-22.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

09/3/21
(सुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

श्री बंधु तिर्की, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-09.03.2021 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-16 से संबन्धित उत्तर:-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राँची विश्वविद्यालय के अन्तर्गत नवांगीभूत कॉलेजों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के 17 शिक्षकों को आरक्षण के लाभ से वंचित रख गया है;	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि कुलाधिपति के पत्रांक-RU-19/2005-788/45, दिनांक-15.07.2017 को अधिसूचना जारी कर शिक्षकों का योगदान नियुक्ति की तिथि सेवा समायोजन एवं वेतन निर्धारण कर मानव संसाधन विकास विभाग को उचित कार्रवाई हेतु भेजा गया है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की सेवा उनके प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से नियमितिकरण एवं वेतन निर्धारण करने का विचार रखती है, हॉं तो कबतक, नहीं तो क्यों?	मामला नीतिगत है। नवांगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों के नियुक्ति का मामला माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित जस्टिस एस०सी० अग्रवाल एवं जस्टिस एस०बी० सिन्हा आयोग द्वारा जाँच कर निष्पादित किया गया था, जिसमें कट-ऑफ-डेट 30.04.86 को इन शिक्षकों को अर्हता नहीं थी। राँची विश्वविद्यालय के नवांगीभूत महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों जिनकी नियुक्ति की तिथि से सेवा समायोजन अथवा कट ऑफ डेट 30.04.1986 को न्यूनतम अर्हता नहीं रहने के फलस्वरूप अर्हता को क्षांत करने के बिंदु पर विधि विभाग का मंतव्य लिया गया है। विधि विभाग के मंतव्य के आलोक में संदर्भित विषय पर निर्णय हेतु प्रक्रियाधीन है।

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक- DHEsec1/बजट सत्र 2021-6/2021/HTESD 395/ रांची, दिनांक- 08/03/2021

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्रांक-137 दिनांक-22.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(सुरेश चौधरी) 08/3/21
सरकार के अवर सचिव।